International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 12 Issue 3, May.-June, 2024, Impact Factor: 8.376

भारतीय लोकतंत्र में ईवीएम : समस्या एवं समाधान

विजय कुमार[1], प्रोफेसर इंद्रमणि[2]

[1]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, वी एस एस डी कॉलेज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश
[2]पर्यवेक्षक, राजनीतिक विज्ञान विभाग, वी एस एस डी कॉलेज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश

सारांश

लोकतंत्र विश्व की सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय शासन प्रणाली है, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र और समयानुसार चुनाव है। लोकतंत्र को और अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय बनाने में चुनाव प्रक्रिया का अत्यंत महत्व है। इसी चुनाव प्रक्रिया में EVM का शामिल किया जाना भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। क्योंकि चुनाव में EVM का उपयोग पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, मतों की धांधली, मतों की चोरी, बूथ कैपचरिंग को तो समाप्त करता ही है साथ ही साथ श्रम, समय और धन की बचत करता है। परंतु EVM के आगमन के साथ ही EVM का विरोध भी प्रारंभ हो गया। सरकारें आती-जाती रही परंतु हारने वाले ने हार का ठीकरा EVM पर ही फोड़ा। EVM की छवि को सबसे अधिक हानि सोशल मीडिया ने पहुंचाई तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग और सरकार ने भी EVM के मुद्दे को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और EVM को लेकर कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया। फलस्वरुप मतदाताओं की एक बड़ी संख्या EVM को संदेह की दृष्टि से देखने लगी और इसे अपारदर्शी समझती है। मतदाताओं का इस तरह का EVM को लेकर संदेह उसे मतदान के प्रति उदासीन बना सकता है जो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है।

कीवर्ड : EVM, लोकतंत्र, बैलेट पेपर, चुनाव, सोशल मीडिया, मतदान।

प्रस्तावना :

लोकतंत्र सदैव ही सबसे अधिक लोकप्रिय और विश्वसनीय शासन प्रणाली रही है, जिसका कारण है उसमें खुद को बदलते समय के अनुकूल परिवर्तित करने की क्षमता। आज हम लोकतंत्र के जिस रूप को देख रहे हैं उसका स्वरूप प्रारंभ में बिल्कुल वैसा नहीं था। आरंभ में लोकतंत्र में मात्र कुछ वर्ग विशेष तक ही मताधिकार सीमित था। परंतु जैसे-जैसे लोकतंत्र की विकास यात्रा आगे बढ़ी लोकतंत्र में सुधार होता रहा। 19-20वीं शताब्दी तक आते-आते मताधिकार का विस्तार महिलाओं तक हो गया, जिन्हें मताधिकार के लिए सबसे लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि अभी भी कुछ देशों में मताधिकार की आयु को लेकर अंतर है। कुछ देशों में यह आयु 21 वर्ष है तो कुछ देशों में 18 वर्ष। भारत में आजादी के साथ ही सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हो गया, हालांकि 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करके मतदान का और अधिक विस्तार किया गया। यह लोकतंत्र और मतदान के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम था।

मतदान को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार EVM मशीन था। भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में बैलेट पेपर से मतदान कराना अत्यधिक खर्चीला, अत्यधिक श्रम वाला और अत्यधिक समय लगने वाला कार्य था। दूसरी तरफ मतदान बूथों का का लूटा जाना, फर्जी वोट की समस्या ने भी मतदान प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोकतंत्र के समक्ष समस्या खड़ी कर दी थी कि अब निष्पक्ष मतदान कैसे कराया जाए। क्योंकि मतदान जो लोकतंत्र का आधार है उस पर अब प्रश्न उठने प्रारंभ हो गए थे। ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए EVM मशीन को संज्ञान में लिया। वर्ष 1980 के दशक के आरंभ में ई सी एल ने पहले EVM का निर्माण किया।[1]

परंतु इस EVM मशीन के उपयोग में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एक अवरोध था जिसमें मतदान के लिए EVM मशीन के उपयोग का वर्णन नहीं था, परंतु शीघ्र ही इस अधिनियम में संशोधन करके 1989 में धारा 61A जोड़कर EVM द्वारा मतदान को व्यवहारिक बनाया गया।[2] हालांकि 1982 में केरल की 70 पारुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में EVM का उपयोग मतदान में हुआ था।[3] 1984 में सर्वोच्च न्यायालय ने EVM के मतदान में उपयोग को अवैध माना, जिसका कारण EVM के द्वारा मतदान का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 51 में वर्णन ना होना था।[4] इसके पश्चात EVM के मतदान में प्रयोग के रूप में निर्वाचन आयोग ने 1998 में 16 विधानसभा की सीटों पर मतदान के लिए EVM का प्रयोग किया, जिसमें दिल्ली की 6, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पांच-पांच सीटें शामिल थी। इसके पश्चात वर्ष 2001 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए EVM का प्रयोग किया गया। वर्ष 2004 के लोकसभा के चुनाव में पूरे भारत वर्ष में EVM मशीन का प्रयोग मतदान के लिए हुआ।[5]

इसके पश्चात ही भारतीय चुनावी प्रक्रिया से बैलेट पेपर की सदैव के लिए विदाई हो गई और यह आवश्यक भी था क्योंकि भारत जैसे विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल वाले देश में बैलेट पेपर से मतदान एक अत्यधिक कठिन, श्रम साध्य, खर्चीला और कम विश्वसनीय प्रक्रिया थी, साथ ही साथ EVM के आगमन से पूर्व मतदान के दौरान बूथ कैपचरिंग की घटनाएं भी आम हो गई थी।

वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सदा शिवम और जस्टिस रंजन गोगोई ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु EVM के साथ वी वी पैट के इस्तेमाल का आदेश दिया। मतदान में वी पी पैट का उपयोग पार्दर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है।[6]

लेकिन EVM के मतदान में प्रयोग के साथ ही एक नई समस्या खड़ी हो गई और वह थी EVM पर विश्वसनीयता की। EVM के प्रयोग के समय से ही विपक्षी पार्टी (हारने वाला दल) EVM पर सवाल उठाता रहा है। 1998 से लेकर वर्ष 2023 के प्रत्येक चुनाव में EVM की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया गया है। फिर चाहे विपक्ष में बीजेपी हो या कांग्रेस (विशेष कर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में) अक्सर विपक्षी दल सत्ता रुढ दल पर आरोप लगाता है कि सरकार ने EVM के माध्यम से नतीजे में हेर-फेर किया है।

राजनीतिक पार्टियां ही नहीं सोशल मीडिया ने भी EVM की कार्यप्रणाली को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। EVM और सोशल मीडिया एक ही दशक में जन्मे दो भाई हैं, दोनों ही आधुनिकता और नई तकनीक के प्रतीक हैं तथा बदलते लोकतंत्र के अगुवा हैं। फिर भी सोशल मीडिया पर अधिकतर EVM का विरोध संबंधी अफवाह ही नजर आती है।

राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया ने झूठा, भ्रामक, नकारात्मक प्रचार ही नहीं अन्य भी ऐसे कई कारण हैं जिसने EVM के प्रति अविश्वास को गहरा किया है। विश्व के कई देशों द्वारा EVM द्वारा मतदान को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख हैं। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में EVM से मतदान को असंवैधानिक करार देते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया और कारण इसमें पारदर्शिता का अभाव बताया है।[7]

EVM मशीन में आने वाली खराबी भी EVM से मतदान पर प्रश्न खड़ा करती है। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश विधानसभा (2023) चुनाव के दौरान सामने आई जब शिवपुरी के कोलारस और दोसीपुरा में EVM मशीन के खराब हो जाने से मतदान में देरी हुई।[8] एक अन्य घटना राजस्थान विधानसभा चुनाव (2023) की है जहां मतदान के दौरान बूंदी, भरतपुर, डीडवाना, कोटा, जालौर में EVM के खराब हो जाने के कारण मतदाताओं को मतदान के लिए अत्यधिक इंतजार करना पड़ा।[9] भोपाल की सात विधानसभा सीटों पर 10 EVM में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उन्हें बदलना पड़ा।[10] EVM में खराबी कोई नई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने की संभावना सदैव बनी रहती है, परंतु EVM की खराबी एक तरफ मतदान प्रक्रिया में विलंब करती है और मतदान के प्रति मतदाता के मंन में उदासीनता के साथ-साथ मतदान प्रक्रिया में अविश्वास का बीजा-रोपण भी कर देती है। अप्रैल 2021 में असम के एक भाजपा विधायक की गाड़ी में EVM की उपस्थिति ने बवाल मचाया।[11] हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव (2022) के दौरान EVM मशीन एक निजी वाहन में पाई गई।[12] इस तरह की खबरें पहले ही मतदाता के मन मस्तिष्क में प्रश्न खड़ा करती हैं, परंतु जब राजनीतिक दल, नेता और कार्यकर्ता ऐसी खबरों को हवा देते हैं तो यह प्रश्न इस विश्वास में बदल जाता है कि अवश्य ही EVM के द्वारा मतदान में हेर-फेर किया जा रहा है।

EVM को लेकर एक अन्य बड़ी समस्या चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद होने वाली ओपिनियन पोल, चुनावी सर्वेक्षण और एक्जिट पोल हैं। इन ओपिनियन पोल, चुनावी सर्वेक्षण और एक्जिट पोल के नतीजे को मीडिया व सोशल मीडिया पर बढ़ा-चढ़ा और तोड़-मरोड़ कर दिखाया जाता है और ओपिनियन पोल, चुनावी सर्वेक्षण और एक्जिट पोल के नतीजों पर भारी भरकम डिबेट की जाती है। परंतु जब चुनाव के नतीजे इन ओपिनियन पोल, चुनावी सर्वेक्षण और एक्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत जाते हैं तो मतदान करने वालों मतदाताओं के मन में अवश्य ही सत्ता रुढ दल और EVM के प्रति संदेह उत्पन्न होता है।

इस तरह का मतदान के प्रति अविश्वास लोकतंत्र के लिए घातक है। भारत जैसे देश में जहां लगभग 25% आबादी अशिक्षित है और एक बड़ी शिक्षित जनसंख्या जो राजनीतिक दलों व नेताओं के चुनावी दाव-पेचों को समझने में असमर्थ है, वहां EVM के प्रति अविश्वास चुनाव नतीजों को लोकतंत्र के विपरीत प्रभावित कर सकता है।
इस शोध कार्य का उद्देश्य EVM के प्रति मतदाता के मन में उठने वाले संदेह व अविश्वास की तरफ चुनाव आयोग व समाज का ध्यान खींचना है तथा इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

उद्देश्य :

1. EVM के प्रति मतदाता की दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
2. मतदान के अन्य विकल्पों की खोज करना।
3. मतदान में मतदाताओं का विश्वास और रुचि को बढ़ावा देने का सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध की प्रकृति : मात्रात्मक
शोध प्रविधि : मिश्रित प्रविधि (वर्णनात्मक, तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक)
प्रदत एकत्रण स्रोत : प्राथमिक स्रोत
प्रदत्त एकत्रण विधि : सौद्देश्यपूर्ण विधि, स्तरीकृत निदर्शन व प्रश्नावली
प्रदत एकत्र क्षेत्र : कानपुर नगर

प्रश्न 1. आप मतदान के लिए बैलेट पेपर और EVM मशीन में से किसे उपयुक्त समझते है?

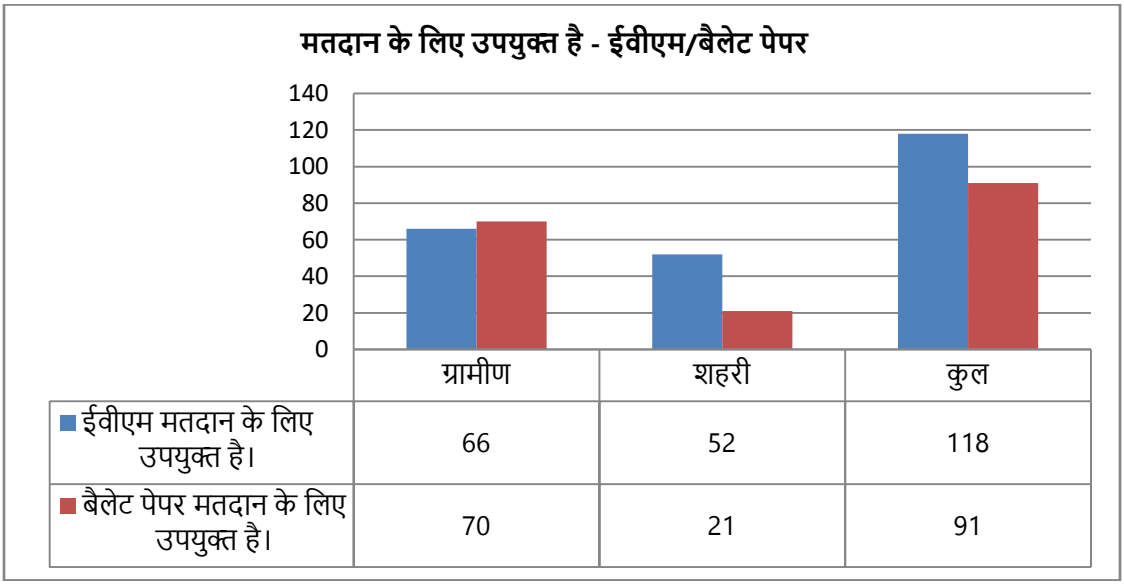

	ग्रामीण	शहरी	कुल
ईवीएम मतदान के लिए उपयुक्त है।	66	52	118
बैलेट पेपर मतदान के लिए उपयुक्त है।	70	21	91

सर्वे में 209 प्रतिभागियों ने भाग लिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से 136 प्रतिभागियों ने तथा शहरी क्षेत्र से 73 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें महिलाएं 100 और 109 पुरुष हैं। मतदान के लिए वैलेट पेपर और EVM मशीन में से किसे उपयुक्त

समझते हैं, के उत्तर में 56.45% (118) प्रतिभागियों ने मतदान के लिए EVM को उपयुक्त माना है जबकि 43.54% (91) प्रतिभागियों ने मतदान के लिए बैलेट पेपर को उपयुक्त माना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभागियों को देखा जाए तो 136 में से 48.52% (66) प्रतिभागियों ने EVM तथा 51.47% (70) मतदाताओं ने बैलेट पेपर को उपयुक्त माना है। वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र के 74 प्रतिभागियों में से 70.27% (52) प्रतिभागी मतदान के लिए EVM को तथा 29.73% (22) प्रतिभागी मतदान के लिए बैलेट पेपर को उपयुक्त मानते हैं। उपरोक्त आंकड़े के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की एक बड़ी आबादी बैलट पेपर से मतदान का समर्थन करती है। वहीं दूसरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 51% से अधिक की आबादी EVM पर विश्वास नहीं करती है और बैलेट पेपर को मतदान के लिए सही मानती है। हालांकि शहरी क्षेत्र में EVM को मतदान के लिए सही विकल्प मानने वाले लगभग 70% हैं और बैलेट पेपर को मतदान का सही विकल्प मानने वाले लगभग 30% के लगभग हैं।

प्रश्न 2. क्या आप EVM द्वारा मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष समझते हैं?

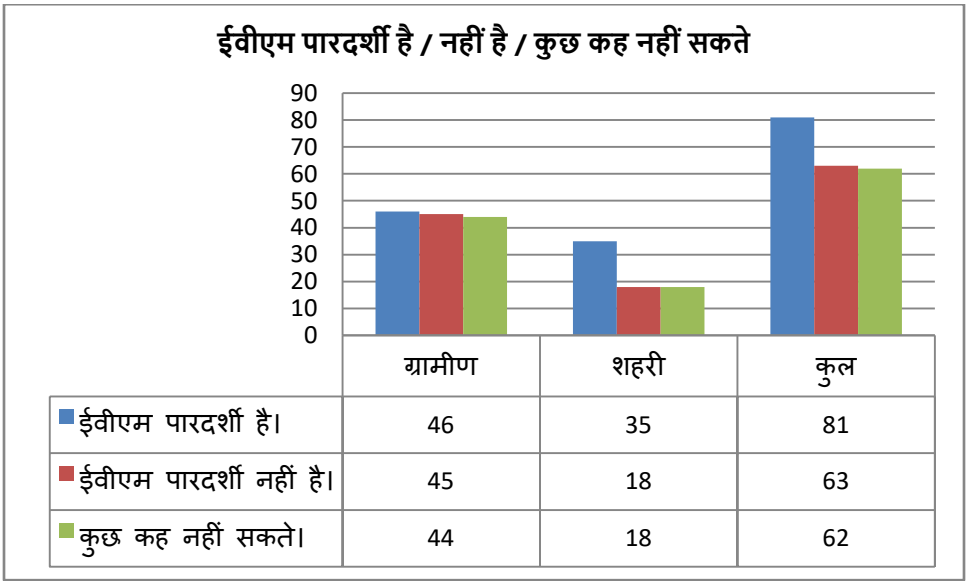

	ग्रामीण	शहरी	कुल
ईवीएम पारदर्शी है।	46	35	81
ईवीएम पारदर्शी नहीं है।	45	18	63
कुछ कह नहीं सकते।	44	18	62

दूसरा प्रश्न, क्या आप EVM द्वारा मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष समझते हैं, के जवाब में 206 प्रतिभागियों में से 39.32% (81) प्रतिभागियों ने EVM द्वारा मतदान को पारदर्शी और निष्पक्ष माना है, 30.58% (63) प्रतिभागियों ने इसे पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं माना और 30.09% (62) प्रतिभागियों का जवाब था कुछ कह नहीं सकते। EVM को पारदर्शी और निष्पक्ष न समझने वाले 63 (30.58%) और अगर इनके साथ उन प्रतिभागियों को भी जोड़ दिया जाए जिनकी राय स्पष्ट नहीं है (30.09% - 62) तो यह आंकड़ा बढ़कर 125 (60.68%) हो जाता है जो बताता है कि कितने प्रतिशत मतदाता EVM को पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं समझते हैं या वो EVM को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, इस कारण से उनकी राय EVM को लेकर स्पष्ट नहीं है।

वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के 135 प्रतिभागियों में से 34.07% (46) प्रतिभागियों ने EVM को पारदर्शी व निष्पक्ष माना है वही 33.33% (45) प्रतिभागियों ने इसे पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं माना वहीं कुछ कह नहीं सकते वाले प्रतिभागियों की संख्या 32.59% (44) है। अगर EVM को पारदर्शी व निष्पक्ष नहीं समझने वाले तथा ऐसे प्रतिभागी जो इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते, विकल्प का चयन करते हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 65.92% (89) हो जाती है। शहरी क्षेत्र के प्रतिभागियों की बात की जाए तो 49.29% (35) प्रतिभागी EVM को पारदर्शी व निष्पक्ष मानते हैं वहीं 25.35% (18) प्रतिभागियों ने EVM को पारदर्शी व निष्पक्ष नहीं माना है वहीं कुछ कह नहीं सकते प्रतिभागियों की संख्या 25.35% (18) है।

प्रश्न 3.क्या भविष्य में मतदान के लिए तीसरे विकल्प (बैलेट पेपर व EVM मशीन के अलावा) का उपयोग करना चाहिए?

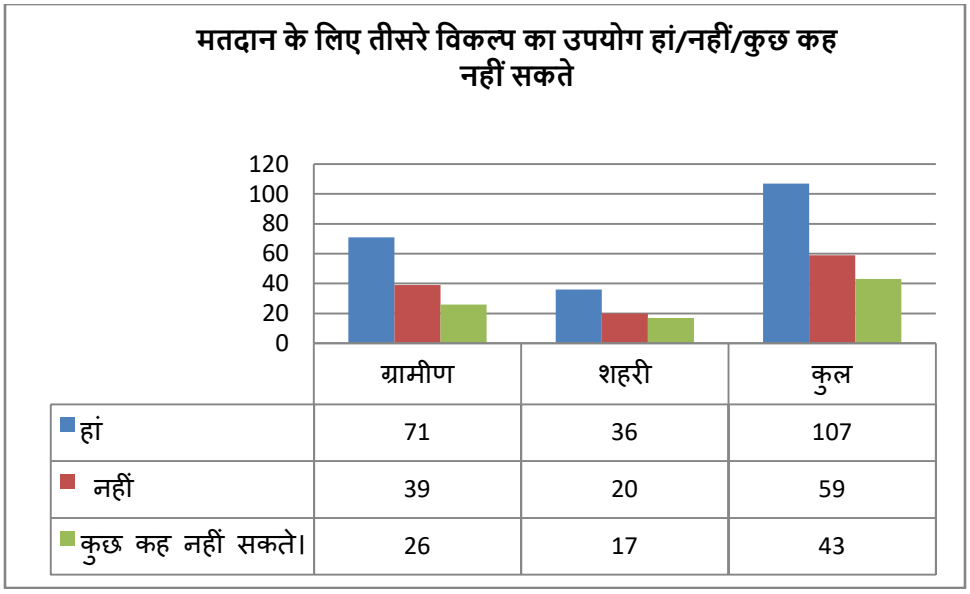

	ग्रामीण	शहरी	कुल
हां	71	36	107
नहीं	39	20	59
कुछ कह नहीं सकते।	26	17	43

तीसरा प्रश्न क्या भविष्य में मतदान के लिए तीसरे विकल्प (वैलेट पेपर और EVM मशीन के अलावा) का उपयोग करना चाहिए के जवाब में 209 प्रतिभागियों में से 51.19% (107) प्रतिभागियों ने हां में जवाब दिया है वहीं 28.22% (59) प्रतिभागियों ने नहीं में जवाब दिया, वहीं कुछ कह नहीं सकते, जवाब देने वालों की संख्या 20.57% (43) है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभागियों की बात करें तो 52.20% (71) प्रतिभागियों ने हां में 28.67% (39) प्रतिभागियों ने नहीं में तथा 19.11% (26) प्रतिभागियों ने कुछ नहीं कह सकते का जवाब दिया है। शहरी प्रतिभागियों की अगर बात की जाए तो 49.31% (36) प्रतिभागियों ने मतदान के लिए तीसरे विकल्प का समर्थन किया है, 27.39% (20) प्रतिभागियों ने मतदान के लिए तीसरी विकल्प का समर्थन नहीं किया वहीं कुछ कह नहीं सकते, जवाब देने वाले प्रतिभागियों की संख्या 23.28% (17) है।

प्रश्न 4. स्नातक और स्नातक से उपर के लोगों का EVM के संदर्भ में मत।

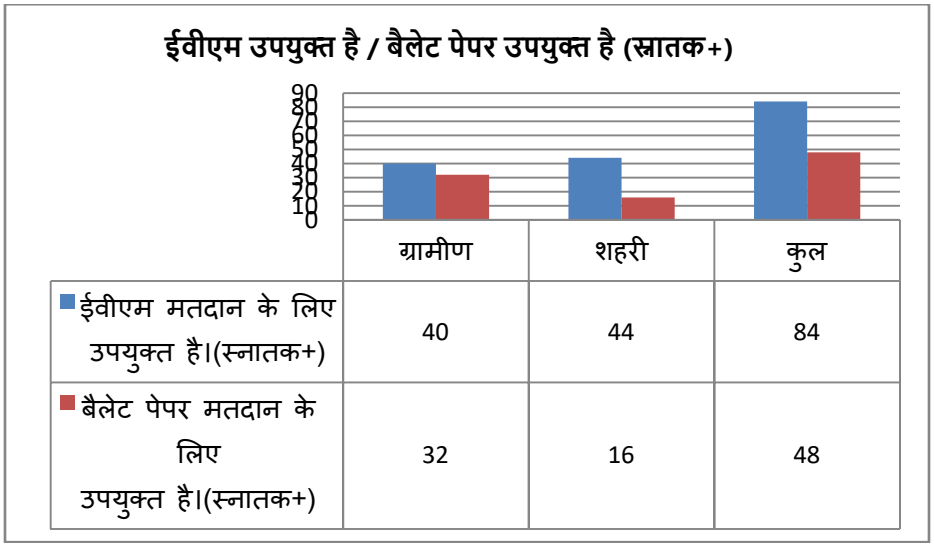

	ग्रामीण	शहरी	कुल
ईवीएम मतदान के लिए उपयुक्त है।(स्नातक+)	40	44	84
बैलेट पेपर मतदान के लिए उपयुक्त है।(स्नातक+)	32	16	48

ऐसी प्रतिभागी जो स्नातक या स्नातक से ऊपर की डिग्री रखते हैं (132 प्रतिभागी) उनमें 63.63% (84) प्रतिभागी EVM के द्वारा मतदान को उपयुक्त समझते हैं, वही 36.36% (48) प्रतिभागी बैलेट पेपर के द्वारा मतदान को उपयुक्त मानते हैं। ग्रामीण प्रतिभागी (72) जिनके पास स्नातक या स्नातक से ऊपर की डिग्री है उनमें EVM के द्वारा मतदान को उपयुक्त मानने

वालों की संख्या 55.55% (40) है तथा ऐसे ग्रामीण स्नातक या स्नातक से उपर डिग्री रखने वाले प्रतिभागी जो बैलट पेपर को मतदान के लिए उपयुक्त मानते हैं उनकी संख्या 44.44% (32) है। वहीं दूसरी ओर शहरी प्रतिभागी (60) जो स्नातक या स्नातक से ऊपर की डिग्री रखते हैं उनमें 73.33% (44) प्रतिभागी EVM को मतदान के लिए उपयुक्त समझते हैं तथा 26.16% (16) प्रतिभागी बैलेट पेपर के द्वारा मतदान को उपयुक्त मानते हैं।

प्रश्न 5. EVM पारदर्शी और निष्पक्ष है या नहीं, को लेकर स्नातक या स्नातक से ऊपर डिग्री रखने वाले प्रतिभागियों का मत।

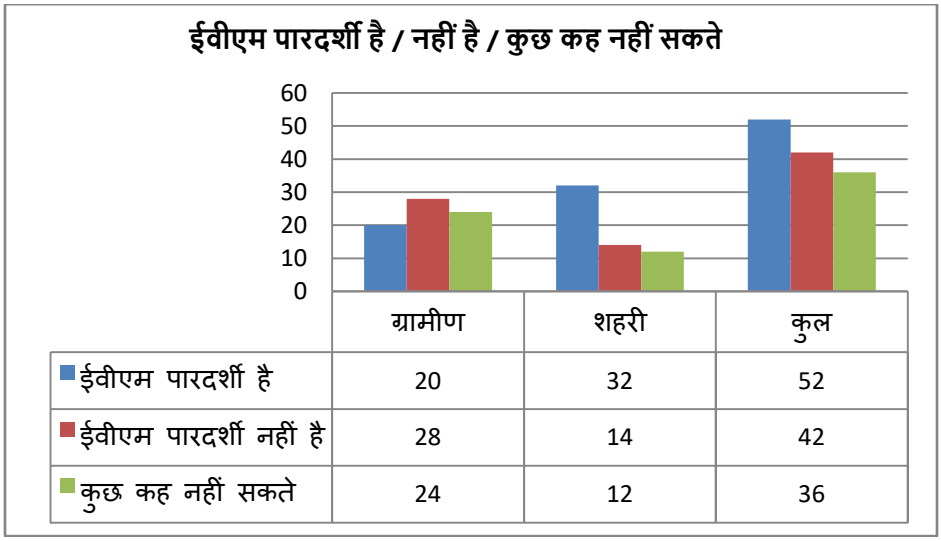

	ग्रामीण	शहरी	कुल
ईवीएम पारदर्शी है	20	32	52
ईवीएम पारदर्शी नहीं है	28	14	42
कुछ कह नहीं सकते	24	12	36

EVM पारदर्शी और निष्पक्ष है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर शिक्षित वर्ग ने चौंकाने वाले मत दिए हैं। 130 प्रतिभागियों में से 40% (52) प्रतिभागियों ने EVM को पारदर्शी व निष्पक्ष माना है, 32.30% (42) प्रतिभागियों ने EVM को पारदर्शी व निष्पक्ष नहीं माना, वहीं कुछ कह नहीं सकते, वाले प्रतिभागियों की संख्या 27.69% (36) है। अर्थात EVM को पारदर्शी व निष्पक्ष ना मानने वाले का प्रतिशत 32.30% (42) और ऐसे प्रतिभागी जिन्होंने अपना उत्तर कुछ कह नहीं सकते में दिया है, 27.69% (36) का योग किया जाए तो यह 60% (78) होता है।

प्रश्न 6. मतदान के लिए तीसरे विकल्प के संबंध में शिक्षित प्रतिभागियों का मत।

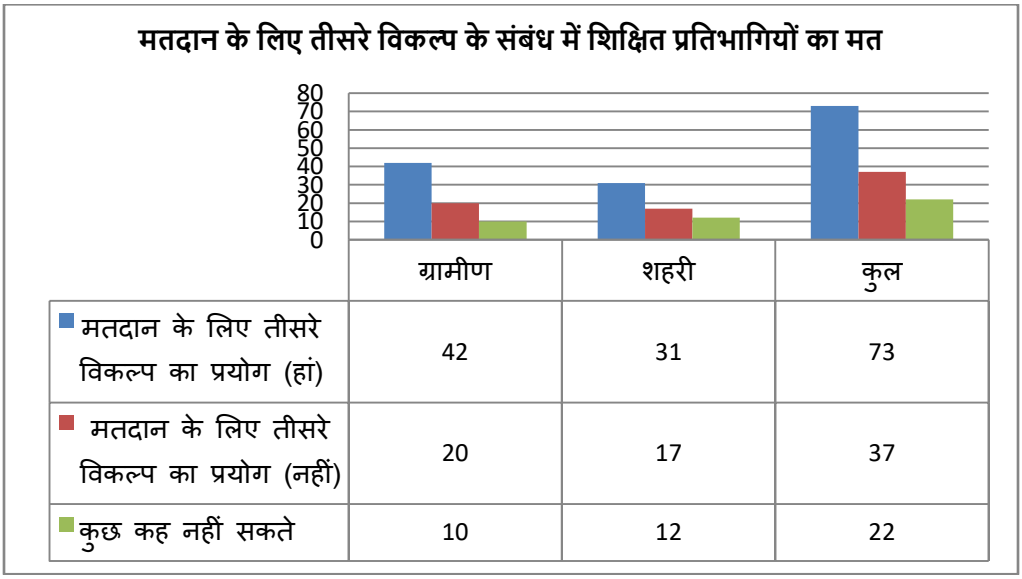

	ग्रामीण	शहरी	कुल
मतदान के लिए तीसरे विकल्प का प्रयोग (हां)	42	31	73
मतदान के लिए तीसरे विकल्प का प्रयोग (नहीं)	20	17	37
कुछ कह नहीं सकते	10	12	22

शिक्षित प्रतिभागियों से जब प्रश्न पूछा गया कि वो मतदान के लिए किसी तीसरे विकल्प का प्रयोग करेंगे, तो 132 प्रतिभागियों में से 55.30% (73) प्रतिभागियों ने हां में उत्तर दिया, 28.03% (37) प्रतिभागियों ने मतदान के लिए तीसरे विकल्प के प्रति अनिच्छा जाहिर की, वहीं 16.67% (22) प्रतिभागियों का मत इस विषय पर स्पष्ट नहीं था, अर्थात उनका इस बारे में उत्तर था, कुछ कह नहीं सकते।

निष्कर्ष :

शोध के द्वारा प्राप्त किए गए सभी आंकड़ों का निष्कर्ष निकालने से स्पष्ट होता है कि भारतीय मतदाताओं में बहुत बड़ी संख्या EVM को संदेह की दृष्टि से देखती है तथा मतदान के लिए बैलेट पेपर को उपयुक्त समझती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैलेट पेपर का समर्थन और अधिक तथा EVM के प्रति संदेह और अधिक नजर आता है। इतना ही नहीं शिक्षित वर्ग में भी एक बहुत बड़ी संख्या वैलेट पेपर का समर्थन करती है और EVM को अपारदर्शी समझती है। वहीं एक बड़ी संख्या मतदान के लिए तीसरे विकल्प का समर्थन कर रही है।

इस शोध से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किसी भी प्रकार से किया जाए अर्थात महिलाओं और पुरुषों का मत, शिक्षित और अशिक्षित वर्ग का मत, शहरी और ग्रामीण वर्ग का मत, सभी में एक बड़ी जनसंख्या बैलेट पेपर का समर्थन व EVM का विरोध कर रही है, EVM को पारदर्शी व निष्पक्ष नहीं समझती तथा मतदान के लिए तीसरे विकल्प का समर्थन करती है।

किसी भी लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव है, लेकिन जब लोकतंत्र के अंतर्गत एक बहुत बड़ा वर्ग मतदान प्रक्रिया (EVM/बैलेट पेपर) पर संदेह करता है तो वहां लोकतंत्र को खतरा है। ऐसे में EVM के प्रति अविश्वास और संदेह मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के प्रति उदासीन बना सकता है और वो मतदान प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया के प्रति अविश्वास और संदेह कम मतदान का एक प्रमुख कारण हो सकता है। लोकतंत्र का सार है कि लोकतंत्र में अल्पमत को भी साथ लेकर चलें और अल्पमत के साथ सामंजस्य बिठाकर उनका सहयोग प्राप्त करें। हो सकता है कि EVM पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, लेकिन समस्या यह है कि मतदाताओं में यह विश्वास जगाया जाए की EVM निष्पक्ष और पारदर्शी है। निर्वाचन आयोग के द्वारा यह कहना कि EVM निष्पक्ष है, पारदर्शी है, पर्याप्त नहीं है। निर्वाचन आयोग को इस विषय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा जनता के बीच में जाना चाहिए और EVM के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को विपक्षी दलों तथा EVM का विरोध करने वालों के प्रश्नों का स्वागत करना चाहिए और EVM के विषय पर उनके साथ चर्चा करनी चाहिए।

किसी भी विकल्प, तकनीक, प्रक्रिया आदि को अंतिम, पूर्ण और सबसे श्रेष्ठ समझ लेना नए विकल्प, नई तकनीक, नई प्रक्रिया और सुधार के किसी भी गुंजाइश को समाप्त कर देता है, जो लोकतंत्र की भावना के बिल्कुल अनुरुप नहीं है। ऐसे में यदि लोकतंत्र के स्वप्न को साकार करना है तो प्रत्येक मतदाता की चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता आवश्यक है। ऐसे में सर्वप्रथम प्रयास सरकार और निर्वाचन आयोग को ही करना है और सरकार व निर्वाचन आयोग को हमेशा निर्वाचन के किसी भी विकल्प या नए विकल्प के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः इस समस्या को लेकर मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं:

1. निर्वाचन आयोग और सरकार द्वारा मतदान और EVM के प्रति जागरूकता अभियान चलाना।
2. निर्वाचन आयोग द्वारा विपक्षी दलों और EVM का विरोध करने वाले लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना व उनके साथ चर्चाएं करना।
3. मतदान से पूर्व EVM की जांच करना ताकि मतदान के समय EVM में आने वाली खराबी को कम किया जा सके।
4. EVM को पूर्ण सुरक्षा दी जाए और राजनीतिक दलों की पहुंच से दूर रखा जाए, जब तक कि मतों की गिनती पूर्ण ना हो जाए।
5. चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद किए जाने वाले ओपिनियन पोल, चुनावी सर्वेक्षण और एग्जिट पोल को प्रतिबंधित किया जाए।
6. मतदान के नए विकल्पों और मतदान की प्रक्रिया में सुधार के संबंध में शोध कार्यों और सुझावों को बढ़ावा दिया जाए।
7. सोशल मीडिया पर EVM को लेकर फैलाई जाने वाली अफवाओं और झूठी खबरों पर रोक लगाना।

मतदान प्रक्रिया में नए विकल्पों का सुझाव :

1. भारत जैसे देश में जहां 97 करोड़ मतदाता है, वहां बैलेट पेपर से मतदान और उसकी गिनती एक लंबी, महंगी, थकाने वाली और चुनौती पूर्ण प्रक्रिया है, जो समयानुसार उचित नहीं है। ऐसे में बैलेट पेपर और EVM, दोनों विधियों से हटकर तीसरी विधि जो इन विधियों के मिश्रण से बनी है, उसका उपयोग किया जा सकता है। अर्थात सभी मतदाताओं में से 90% मतदाताओं से EVM के माध्यम से मत प्राप्त किया जाए तथा शेष 10% मतदाताओं से बैलेट पेपर के माध्यम से मत प्राप्त किया जाए। दोनों विधियों से प्राप्त निष्कर्ष का तुलनात्मक अध्ययन करना और निष्कर्ष के रुप में जीत हार का अंतर अधिक है तो पुनः मतदान कराया जाए।
2. दूसरी विधि परंपरागत मतदान प्रक्रिया वैलेट पेपर से ही संबंधित है। अर्थात जिस तरह से एटीएम मशीन में प्रयोग की जाने वाली तकनीक जो अलग-अलग मुद्राओं की पहचान कर उनकी गिनती कुछ समय में कर देती है, इसी तकनीक का प्रयोग बैलेट पेपर की काउंटिंग में करना, जो समय तो बचाएगा ही साथ ही साथ अधिक विश्वसनीय भी है।
3. तीसरा विकल्प VVPAT द्वारा निकलने वाली पर्चियां की गिनती करना है और इन VVPAT की पर्चियों की गिनती में सुझाई गई दूसरी विधि का प्रयोग किया जा सकता है।
4. मतदान तकनीक को लेकर एक अन्य विकल्प ऑनलाइन वोटिंग का है। कई देशों में मतदान की यह तकनीक प्रचलित भी है। ऑनलाइन वोटिंग के तहत उन लोगों को भी मतदान का अधिकार प्राप्त होगा जो चुनाव के समय उस क्षेत्र में नहीं होते हैं जहां के मतदाता सूची में उनका नाम पंजीकृत होता है तथा वो भारतीय मतदाता जो चुनाव के समय किसी कारण से विदेश में होते हैं उनको भी मताधिकार प्राप्त होगा। मतदान की ऑनलाइन प्रक्रिया सरल, स्पष्ट और पारदर्शी है जिस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :

[1]. लोकतंत्र खतरे में : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा और भारतीय लोकतंत्र पर उसके प्रभाव
[2]. ई-वोटिंग : EVM में सुरक्षा मुद्दों का विश्लेषण
[3]. हिंदी-Electronic voting machine: history and the process of functioning (jagranjosh.com)
[4]. ई-वोटिंग : EVM में सुरक्षा मुद्दों का विश्लेषण
[5]. ZEE information: When was the first time in India that EVM was used | ZEE जानकारी: जानें भारत में सबसे पहले कब हुआ था EVM इस्तेमाल| Hindi News, देश
[6]. Everyone should get VVPAT slips Election Commission answer to the oppositions demand evm - India Hindi News - सबको मिले VVPAT स्लिप, विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने दिया दो टूक जवाब, देश न्यूज (livehindustan.com)
[7]. इन देशों में होता है भारत के EVM का इस्तेमाल, यहां हो चुका बैन - Trending AajTak
[8]. MP Chunav 2023 Live: शिवपुरी के कोलारस और घोसीपुरा में ईवीएम मशीन हुई खराब, वोटिंग में हुईं देरी - mp assembly election 2023 live updates voting stopped in shivpuri kolaras and ghosipura due to evm machine broke down el 23 - Navbharat Times (indiatimes.com)
[9]. Rajasthan Voting: बूंदी-भरतपुर-डीडवाना-कोटा-जालोर के EVM खराब, घंटो से कतारों में खड़े वोटर हो रहे नाराज (ndtv.in)
[10]. Mp Election: 10 Evms Replaced After Technical Fault In Bhopal, Complaint Of Fake Voting, Bjp-congress Workers - Amar Ujala Hindi News Live - Mp Election:भोपाल में तकनीकी खराबी के बाद 10 Evm बदली, फर्जी मतदान की शिकायत, Bjp-कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े
[11]. असम विधानसभा चुनावः बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने से बवाल, चार अधिकारी निलंबित - BBC News हिंदी
[12]. Himachal Pradesh Assembly Election 2022 6 employees suspended for carrying EVM in private vehicle in Rampur ann | HP Assembly Election 2022: रामपुर में निजी गाड़ी में EVM ले जाने के आरोप में 6 कर्मचारी सस्पेंड, क्या कहते हैं नियम? (abplive.com)